सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

आबकारी विभाग

2011–12

प्रशासनिक प्रतिवेदन

वर्ष 2011–2012

राजस्थान सरकार

आबकारी विभाग

प्रशासनिक प्रतिवेदन – वर्ष 2011–2012

1. प्रस्तावना :–

1.1 मादक पदार्थो के उत्पादन, भण्डारण, परिवहन, एवं विक्रय की प्रक्रिया पर राज्य का नियन्त्रण है। आबकारी विभाग का मुख्य उद्धेश्य घातक एवं मादक पदार्थो के अवैध उत्पादन एवं व्यवसाय पर कठोर नियंत्रण रखते हुए उपभोक्ता को गुणवत्ता युक्त मानव उपयोगी मादक पदार्थ उपलब्ध कराने के साथ–साथ समुचित राजस्व अर्जित करना है। राज्य की राजस्व आय में आबकारी विभाग का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान में राज्य की सम्पूर्ण कर–राजस्व प्राप्तियों में आबकारी विभाग का योगदान लगभग 16 प्रतिशत होकर यह द्वितीय स्थान पर है।

1.2 आबकारी विभाग द्वारा राज्य सरकार द्वारा घोषित आबकारी नीति के अन्तर्गत बन्दोबस्त सम्पादित करवाकर राज्य की आबकारी एवं मद्य संयम नीति का क्रियान्वयन किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा आबकारी नीति मुख्यतः निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है :–

1.2.1 मदिरा व्यवसाय की लाभदेयता एवं राज्य की राजस्व आय को दृष्टिगत रखते हुए व्यावहारिक नीति का निर्धारण ।

1.2.2 अवैध एवं घातक पदार्थों पर प्रभावी नियंत्रण ।

1.2.3 मद्य संयम (टेम्परेंस) की नीति प्रभावी रूप से लागू करना ।

2. विभाग की प्रशासनिक संरचना :–

2.1 राजस्थान में आबकारी विभाग का मुख्यालय उदयपुर में अवस्थित होकर आबकारी आयुक्त इसके विभागाध्यक्ष है। आबकारी आयुक्त को प्रशासनिक कार्य में सहयोग देने हेतु आबकारी मुख्यालय पर अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (प्रशासन), अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (नीति), अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (विधि), वित्तीय सलाहकार, अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, आबकारी निरोधक दल, संयुक्त आबकारी आयुक्त, आबकारी निरोधक दल, संयुक्त विधि परामर्शी, उपायुक्त आबकारी, मुख्यालय, उपायुक्त आबकारी, आबकारी निरोधक दल, उप विधि परामर्शी एवं अन्य अधिकारी पदस्थापित है ।

2.2 विभागीय कार्यकलापों के प्रभावी नियन्त्रण हेतु आबकारी प्रशासन एवं निरोधक दल के आंतरिक प्रशासन का विकेन्द्रीकरण सात अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, जोन के अधीन निम्नांकित आबकारी/राजस्व जिले सम्मिलित कर किया हुआ है:–

अजमेर जोनः– अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर एवं टोंक।

जयपुर जोनः— अलवर, उत्पादन इकाईयां, बहरोड़, (अलवर), दौसा, जयपुर (शहर), जयपुर (ग्रामीण), झुन्झुनू एवं सीकर।

जोधपुर जोनः— जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, पाली एवं सिरोही।

कोटा जोनः— बारां, बून्दी, झालावाड़ एवं कोटा।

बीकानेर जोनः— बीकानेर, चुरू, श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़।

उदयपुर जोनः— चितौडगढ़, बॉसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमन्द, उदयपुर एवं प्रतापगढ़।

भरतपुर जोनः— भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, एवं करौली।

2.3 विभाग में स्वीकृत पदो का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र सं.	पद का नाम	वेतन श्रृंखला		स्वीकृत पद
		पे बेण्ड	ग्रेड पे	
1.	आबकारी आयुक्त, आई.ए.एस.	(24)37400—67000	10000	01
	आबकारी सामान्य शाखा (राज्य सेवा)			
1.	अतिरिक्त आबकारी आयुक्त,(प्रशासन),आर.ए.एस.	(20)15600—39100	8700	01
2.	वित्तीय सलाहकार	(22)37400—67000	8700	01
3.	अतिरिक्त आबकारी आयुक्त,पॉलिसी,आर.ए.एस.	(20)15600—39100	7600	01
4.	संयुक्त विधि परामर्शी	(21)15600—39100	8200	01
5.	अतिरिक्त आबकारी आयुक्त,(विधि),(विभागीय)	(20)15600—39100	7600	01
6.	अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, जोन,आर.ए.एस.	(20)15600—39100	7600	06
7.	अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, जोन,(विभागीय)	(20)15600—39100	7600	01
8.	उपायुक्त आबकारी, मुख्यालय	(17)15600—39100	6600	01
9.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	(17)15600—39100	6600	01
10.	**जिला आबकारी अधिकारी**, आर.ए.एस.	(17)15600—39100	6600	08
	वरिष्ठ वेतमान (विभागीय)	(17)15600—39100	6600	03
	कनिष्ठ वेतमान (विभागीय)	(16)15600—39100	6000	27
	कुल योग			**38**
11.	उप विधि परामर्शी	(16)15600—39100	6000	01
12.	रसायनिक परीक्षक	(16)15600—39100	6000	01
13.	सहायक रसायनिक परीक्षक	(15)15600—39100	5400	06
14.	लेखाधिकारी	(15)15600—39100	5400	01
15.	सहायक आबकारी अधिकारी	(13)9300—34800	4200	56
16.	सहायक लेखाधिकारी	(13)9300—34800	4200	09
	आबकारी अधीनस्थ सेवा			
1.	आबकारी निरीक्षक, प्रथम श्रेणी	(12)9300—34800	3600	48
2.	आबकारी निरीक्षक, द्वितीय श्रेणी	(11)9300—34800	3200	116
3.	रसायनिक सहायक	(11)9300—34800	3200	08
4.	मुख्य विधि सहायक	(13)9300—34800	4200	02
5.	लेखाकार	(12)9300—34800	3600	35
6.	कनिष्ठ लेखाकार	(11)9300—34800	3200	26

7.	सांख्यिकीय सहायक	(11)9300–34800	3200	01
8.	प्रोग्रामर	(13)9300–34800	4200	02
9.	सहायक प्रोग्रामर	(11)9300–34800	3200	08
10.	सूचना सहायक	(09)5200–20200	2400	32
11.	प्रयोगशाला सहायक	(09)5200–20200	2400	02
12.	इलेक्ट्रशियन	(06)5200–20200	1900	01
	मन्त्रालयिक सेवा			
1.	निजी सचिव	(16)15600–39100	6000	01
2.	वरिष्ठ निजी सहायक	(13)9300–34800	4200	01
3.	निजी सहायक	(13)9300–34800	3600	03
4	आशुलिपिक	(11)9300–34800	3200	12
5	कार्यालय अधीक्षक	(12)9300–34800	3600	01
6.	कार्यालय सहायक	(11)9300–34800	3200	44
7.	वरिष्ठ लिपिक	(09)5200–20200	2400	148
8.	कनिष्ठ लिपिक	(06)5200–20200	1900	299
9.	वाहन चालक (आबकारी शाखा)	(06)5200–20200	1900	29
	चतुर्थ श्रेणी सेवा			
1.	आबकारी गार्ड /	(03)4750–7440	1650	482
	जमादार /	(02)4750–7440	1400	
	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	(01)4750–7440	1300	
2.	प्रयोगशाला परिचारक	(02)4750–7440	1400	11

आबकारी निरोधक दल

3.1 अवैध एवं घातक मादक पदार्थो की रोकथाम हेतु कार्यवाही

राज्य मे मदिरा एवं अन्य मादक पदार्थो के अवैध उत्पादन, विक्रय, संग्रहण (भण्डारण) पर प्रभावी अंकुश एवं नियंत्रण रखने के लिए विभाग में पृथक से निरोधक दल शाखा गठित है। राज्य भर मे निरोधात्मक कार्यवाही करने हेतु अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, आबकारी निरोधक दल, संयुक्त आबकारी आयुक्त, निरोधक दल एवम् उपायुक्त, आबकारी निरोधक दल के एक–एक पद सृजित किये हुऐ है। इनके अधीन 8 आबकारी अधिकारी, 34 सहायक आबकारी अधिकारी एवं 206 प्रहराधिकारियों के पद स्वीकृत है एवं निरोधक शाखा में वर्तमान में 149 निरोधक दल पार्टियां स्वीकृत है। प्रत्येक निरोधक दल पार्टी में 1 जमादार तथा 10 सिपाहियों / वाहन चालक के पद स्वीकृत हैं तथा प्रत्येक पार्टी को एक वाहन भी आंवटित किया जाना प्रस्तावित है। प्रभावी निरोधक कार्यवाही की दृष्टि से आबकारी निरोधक दल का राजस्थान आर्म्ड कांस्टेबुलेरी (R.A.C) की पद्धति पर गठन कर प्रत्येक निरोधक पार्टी को 3–3 हथियार (राईफल) आंवटित है तथा अधिकारियों को रिवाल्वर / पिस्टल उपलब्ध कराई गई है। निरोधक दलों की कार्यकुशलता में वृद्धि एवं सूचनाओं के त्वरित संचार की दृष्टि से विभिन्न स्थानों पर मोबाईल सेट्स उपलब्ध कराये हुये है। आबकारी निरोधक दल मे पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

राज्य सेवा :–

क्र सं.	पद का नाम	वेतन श्रृंखला		स्वीकृत पद
	राज्य सेवा	पे बेण्ड	ग्रेड पे	
1.	अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, आबकारी नि0दल (आई.पी.एस.)	(22)15600–39100	8700	01(प्रनियुक्ति से भरे जाने हेतु)
2	संयुक्त आबकारी आयुक्त, आबकारी नि0दल	(20)15600–39100	7600	01
3	उपायुक्त आबकारी, आबकारी नि0दल	(17)15600–39100	6600	01
4	आबकारी अधिकारी, नि0दल	(16)15600–39100	6000	08
5	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी नि0दल	(13)9300–34800	4200	34
6	लेखाधिकारी	(15)15600–39100	5400	01
7	मुख्य विधि सहायक	(13)9300–34800	4200	01
	अधीनस्थ सेवा			
1.	प्रहराधिकारी, प्रथम श्रेणी	(11)9300–34800	3200	72
2.	प्रहराधिकारी, द्वितीय श्रेणी	(08)5200–20200	2100	141
3.	जमादार, प्रथम श्रेणी	(07)5200–20200	2000	100
4.	जमादार, द्वितीय श्रेणी	(06)5200–20200	1900	206
5.	आर्मर	(06)5200–20200	1900	01
6.	वाहन चालक, आबकारी निरोधक दल	(06)5200–20200	1900	34
7.	सिपाही	(04)5200–20200	1800	2533
	सहायक कर्मचारी			
1.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	(01)4750–7400	1300	19
2.	लांगरी (I) **नियमित वेतन श्रृंखला में**	(02)4750–7400	1400	17
	(II) **संविदा मद से भरने हेतु**	(02)4750–7400	1400	184

3.2 विभाग मे कार्यरत निरीक्षक, प्रहराधिकारियों व प्रतिनियुक्ति पर आये पुलिस कर्मियों के संयुक्त प्रयास से अवैध मादक पदार्थो पर अंकुश लगाने हेतु आयोजित आबकारी धावो के द्वारा पिछले 5 वर्षो में एवं माह दिसम्बर, 2011 तक पंजीकृत अभियोग एवं अवैध मादक पदार्थ, वाहनों तथा अन्य जब्त सामग्री का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. स.	सामग्री का विवरण	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12 12/2011 तक
1.	दर्ज अभियोगो की संख्या	8491	8116	8318	7722	8727	9040
2.	**जब्त आबकरी पदार्थ (मात्रा बोतलो मे)**						
	(1) भा.नि0वि.म.	233929	186960	259625	489251	414853	226883
	(2) देशी मदिरा	64316	55242	41173	142507	86530	64824
	(3) बीयर	56830	79730	77103	73461	139495	84942
	(4) अवैध मदिरा	75300	69481	66138	53192	58271	51730

	वाश(लिटर्स मे)	96104	351313	55905	1324493	2077541	1630387
	स्प्रिरिट (लिटर्स मे)	106856	33519	9125	136410	49553	262567
	शीरा (मोलासेस) कि.ग्रा.	64290	250	0	0	0	1000
	(5) भांग (मात्रा कि0ग्र0)	6499.000	12.200	19.000	49.000	6.400	161
	(6) डोडा पोस्त (मात्रा कि.ग्रा)	757	578.5	426.630	3741	8124.150	19148
	(7) अफीम (मात्रा कि0ग्रा0)	29.930	3.410	19.750	1.000	3.300	9.000
	(8) गांजा (मात्रा कि0ग्रा0)	0	0	1.700	0	8.800	0
	(9) ब्राउन शुगर	0	0	0	0	0	0
3.	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या	5356	5385	4809	6602	6738	7127
4.	जब्त वाहनो की संख्या	315	244	283	364	379	313
5.	चरस	0.700	0	0	0	0	0
6.	हेरोइन	0.020	0	0	0	0	0
	अन्य	0	0	0	0	0	0

4. मद्य निषेध/मद्य संयम (टेम्परेन्स) कार्यक्रम :–

4.1 भारतीय संविधान के अनुच्छेद, 47 में यह प्रावधान है कि राज्य औषधीय उद्देश्य के अलावा नशीले पेय एवं ड्रग्स, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उनके उपभोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा।

4.2 राजस्थान में चरणबद्ध रूप से पूर्व में मद्य निषेध लागू किया गया था, लेकिन अनेक कारणों से इसे दिनांक 11.08.1981 से इसे समाप्त कर दिया गया है। देश के कुछ अन्य प्रदेशों में भी मद्य निषेध लागू किया गया था, किन्तु वहां पर भी इसका सफल क्रियान्वयन नहीं हो सका।

4.3 उक्त दृष्टिकोण से राज्य में अन्ततः मद्य संयम (टेम्परेन्स) कार्यक्रम अपनाने का निर्णय लिया गया। मद्य संयम कार्यक्रम से अभिप्राय ऐसी नीतियों के निर्धारण एवं ऐसे उपायों के क्रियान्वयन से है, जिनके परिणामस्वरूप मदिरा के उपयोग को प्रोत्साहन नहीं मिलता हो तथा जन साधारण मदिरा का संयत एवं सीमित उपभोग करे ताकि इसके दुष्परिणामों से बचा जा सके। इस संबंध में राज्य में निम्न उपाय किये गये हैः–

(क) मदिरा के व्यवसाय को प्रोत्साहन देने वाले विज्ञापनों, प्रकाशनों तथा समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने हेतु राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम, 77–B, 77–C एवं 77–CC में आवश्यक प्रावधान किये हुए हैं ताकि प्रचार सामग्री के प्रभाव से साधारण नागरिक मदिरापान की ओर उन्मुख एवं आकर्षित नहीं हो।

(ख) राजस्थान में निर्मित होने वाली देशी मदिरा, भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर की प्रत्येक बोतल/पात्र पर "मदिरा सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है" लिखना अनिवार्य किया हुआ है।

(ग) अधिक मद्यपान एवं मदिरा संग्रहण की प्रवृति से जनता को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्तमान में एक व्यक्ति द्वारा मदिरा की अधिकतम मात्रा रखने हेतु निम्न सीमाएं निर्धारित की गई हैं :–

– देशी मदिरा– 3 लीटर अर्थात् 4 बोतल (प्रति बोतल 750 एम.एल.)

– भा. नि. वि. म.– 6 लीटर अर्थात् 8 बोतल (प्रति बोतल 750 एम.एल)

– बीयर 12 बोतल (प्रति बोतल 650 एम.एल

(घ) वर्ष 2006–07 से विभिन्न राष्ट्रीय पर्वों के दिन मदिरा के विक्रय पर प्रतिबंध लगाने हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्न दिवसों को शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित किया गया है :–

1. गणतंत्र दिवस (26, जनवरी)
2. शहीद दिवस (30, जनवरी)
3. स्वतंत्रता दिवस (15, अगस्त)
4. गांधी जयंती (02, अक्टूबर)
5. महावीर जयंती (तिथि के अनुसार)

(ड) मदिरा दुकानों की अवस्थिति के संबंध में राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम, 75 में ऐसे प्रतिबंधात्मक प्रावधान किय गये हैं जिससे इन दुकानों की अवस्थिति पूजा स्थल, शिक्षण संस्थानों, सभी स्तर के कन्या विद्यालय, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल, श्रमिक बस्ती, हरजिन बस्ती एवं राष्ट्रीय राज्य मार्गो से पर्याप्त दूरी रहे। दुकानों की अवस्थिति स्वीकृत करते समय नियमों तथा दिशा– निर्देशों को ध्यान में रखा जाता है।

5. आबकारी राजस्वः–

5.1 एक ओर वर्ष 1971–72 में वार्षिक आबकारी राजस्व मात्र रू. 10 करोड़ था वहीं पांच वर्ष की अन्तरालीय अवधि में 1976–77 में रू. 23 करोड, वर्ष 1981–82 में रू. 33.64 करोड़, वर्ष 1986–87 में रू. 100.65 करोड़, वर्ष 1991–92 में रू. 356. 32 करोड़, वर्ष 1996–97 में रूपये 784.56 करोड़, वर्ष 2001–02 में रू. 1110.27 करोड़ तथा वर्ष 2006–07 में 1591.09 करोड़ रहा है। इस प्रकार आबकारी राजस्व समग्र राजकीय कर राजस्व का प्रमुख घटक बना हुआ है। विगत 15 वर्षो, अर्थात 1996–97 के वार्षिक आबकारी राजस्व रू. 785 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2010–11 में 277.25 प्रतिशत की वृद्धि होकर आबकारी राजस्व रू. 2861.45 करोड़ तक पहुंच चुका है। इस वित्तीय वर्ष 2011–12 में दिसम्बर, 2011 तक रू. 2226.53 करोड़ (प्रोविजनल) की राजस्व आय प्राप्त हो चुकी हैं।

5.2 विगत 15 वर्षों एवं इस वित्तीय वर्ष में दिसम्बर, 2011 तक आबकारी राजस्व की स्थिति निम्न प्रकार रही है :–

क्र. सं.	वर्ष	वार्षिक राजस्व (राशि करोड़ रू. में)	प्रतिशत वृद्धि
1.	1996–1997	785	11
2.	1997–1998	923	18
3.	1998–1999	990	7.26
4.	1999–2000	961	(–) 2.93
5.	2000–2001	1118.00	16.34
6.	2001–2002	1110.27	(–) 0.69
7.	2002–2003	1142.34	2.89
8.	2003–2004	1163.15	1.82
9.	2004–2005	1276.07	9.71
10.	2005–2006	1521.80	19.26
11.	2006–2007	1591.09	4.55
12.	2007–2008	1805.12	13.45
13.	2008–2009	2169.85	20.20
14.	2009–2010	2300.48	6.02
15.	2010–2011	2861.45	24.38
16.	2011–2012 दिसम्बर 2011 तक प्रोविजनल	2226.53	

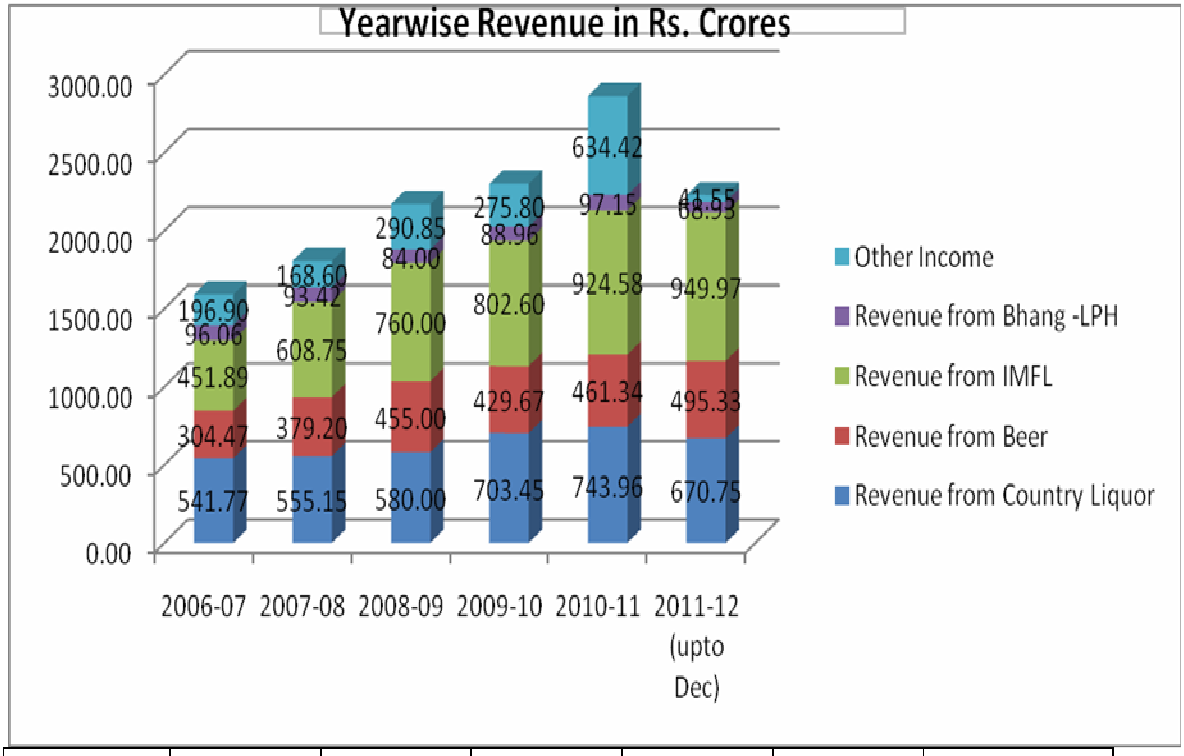

Financial Year ----------->	**2006-07**	**2007-08**	**2008-09**	**2009-10**	**2010-11**	2011-12 (upto Dec)
Total Rev. (Cr)	1591.09	1805.12	2169.85	2300.48	2861.45	2226.53

Sourcewise Excise Revenue for 2010-11 & 2011-12(upto Dec)

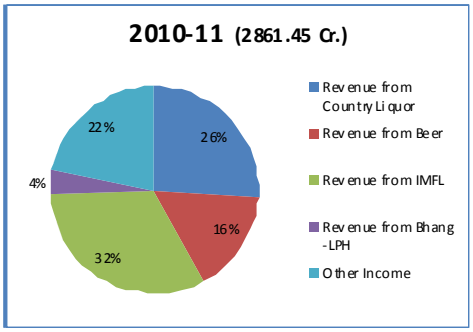

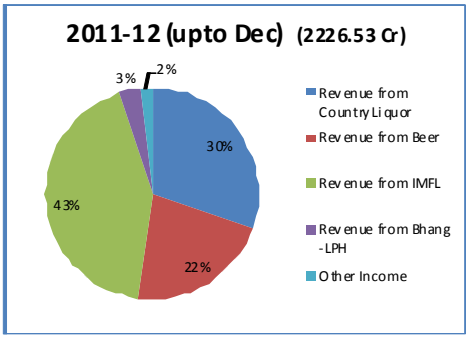

6. आबकारी राजस्व संग्रहण पर प्रशासनिक व्यय :–

आबकारी विभाग द्वारा अर्जित राजस्व की तुलना में प्रशासनिक व्यय 4 प्रतिशत से भी कम है। विगत 15 वर्षो में प्रशासनिक व्यय का अर्जित राजस्व पर प्रतिशत निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	वर्ष	शुद्ध वार्षिक राजस्व (करोड़ रू. में)	प्रशासनिक व्यय (करोड. रू. में)	आय पर व्यय का प्रतिशत
1.	1996–1997	732	12.49	1.71
2.	1997–1998	837	13.29	1.59
3.	1998–1999	900	17.89	1.99
4.	1999–2000	833	17.55	2.10
5	2000–2001	1009	17.90	1.77
6.	2001–2002	1014.68	19.13	1.88
7.	2002–2003	1045.79	18.60	1.78
8.	2003–2004	1065.03	19.82	1.86
9.	2004–2005	1269.07	22.39	1.76
10.	2005–2006	1521.80	34.18	2.25
11.	2006–2007	1591.09	42.52	2.67
12.	2007–2008	1805.12	48.51	2.69
13.	2008–2009	2169.85	64.46	2.97
14.	2009–2010	2300.48	85.73	3.73
15.	2010–2011	2861.45	86.46	3.02

शुद्ध वार्षिक राजस्व = कुल वार्षिक राजस्व –क्रियात्मक क्रियाकलापों (Functional Activities), यथा लिकर व अफीम के क्रय के लिये भुगतान की गयी राशि।

7.1 आबकारी नीति 2011–12 : –

वर्ष 2011–12 के लिए निर्धारित आबकारी नीति मुख्य रूप से निम्न उद्देश्यों से प्रेरित रही है :–

7.1.1 मदिरा व्यवसाय पर कुछ व्यक्तियों के एकाधिकार को समाप्त करना।

7.1.2 ग्राहकों की मांग के अनुसार उचित कीमत पर अच्छी गुणवत्ता एवं स्वास्थ्य के लिए कम हानिप्रद मदिरा उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराना।

7.1.3 मदिरा व्यवसाय को संयमित ढंग से संचालित कराते हुए राज्य की आय को सुनिश्चित करना।

7.1.4 राज्य में अवैध रूप से (विशेषकर हरियाणा, पंजाब एवं मध्यप्रदेश आदि पड़ौसी राज्यों) लाई जाकर अनाधिकृत रूप से राज्य में विक्रय की जाने वाली मदिरा पर प्रभावी निरोधात्मक गतिविधियों के माध्यम से रोक/अंकुश लगाना।

7.1.5 राज्य में अवैध रूप से निर्मित की जाने वाली हथकड़ मदिरा निर्माण को रोककर शराब दुखान्तिकाओं पर रोक लगाना।

7.2 अन्य प्रमुख बिन्दु :–

7.2.1 उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर वैध भा.नि.वि.म./बीयर उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2005–06 की आबकारी नीति के अन्तर्गत "राजस्थान स्टेट ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड" का गठन किया गया था। उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुये मदिरा के पात्रों पर अधिकतम खुदरा मूल्य अंकित किया गया था। इसे और आगे बढाते हुए वर्ष 2006–07 में निजी थोक अनुज्ञापत्र की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। अब सीधे ही माल आर.एसबी.सी.एल द्वारा निर्माता इकाई से प्राप्त कर जिला मुख्यालय पर स्थित आर.एस.बी.सी.एल. डिपोज पर पहुंचाया जाता है। यही व्यवस्था वर्ष 2011–2012 में जारी है ।

7.2.2 निजी क्षैत्र में स्थित डिस्टलरीज व बोटलिंग प्लाण्टस को भी देशी मदिरा के निर्माण की अनुमति दी गई है, जिसका विक्रय राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स के माध्यम से ही करने का प्रावधान किया किया गया है।

7.2.3 बन्दोबस्त की अवधि एक वर्ष अर्थात 2011–12 यथावत रखी गई है।

7.2.4 देशी मदिरा एवं भा.नि.वि. मदिरा रिटेल अनुज्ञापत्रों के आवेदन आमंत्रित कर प्राप्त आवेदनों में से लॉटरी प्रक्रिया से चयन कर वर्ष 2011–12 के लिए देशी व भा.नि. वि. मदिरा/बीयर दुकानों का आवंटन किया गया है।

7.2.5 देशी मदिरा दुकानों की संख्या 6660 तथा भा.नि.वि.म. दुकानों की संख्या 1000 यथावत रखी गई ।

7.2.6 वर्ष 2011–12 में देशी मदिरा की निर्धारित वार्षिक पूर्ण राशि का मदिरा उठाव में भराव देने की व्यवस्था की गयी।

7.2.7 देशी मदिरा की कुल मांग में से अधिकतम 50 प्रतिशत तक आपूर्ति राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा उत्पादित मदिरा से करने व 40 प्रतिशत प्राईवेट डिस्टलरी/10 प्रतिशत बोटलिंग प्लाण्ट से करने की व्यवस्था की गई।

7.2.8 वर्ष 2011–12 में डोडा पोस्त का किसानों को देय न्यूनतम क्रय मूल्य रूपये 100/– प्र.कि.ग्रा. से बढाकर रूपये 125/– प्रति किलोग्राम एवं परमिटधारी उपभोक्ता के लिए अधिकतम रूपये 500/– प्रति कि.ग्रा. की दर से विक्रय मूल्य निर्धारित किया गया है।

7.2.9 भूमिगत जल के स्तर में आ रही कमी की रोकथाम के लिये राज्य सरकार द्वारा अलवर एवं जयपुर जिलों में डिस्टलरीज, ब्रेवरीज एवं मदिरा बोटलिंग के नये प्लाण्ट्स की स्थापना पर रोक लगाई गई है। राज्य के शेष जिलों में नये डिस्टलरी/ब्रेवरी/बोटलिंग प्लांट की स्थापना पर विचार कर निर्णय हेतु प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है जिसकी रिपोर्ट प्राप्त होना अपेक्षित है।

7.3 आबकारी कर ढांचे को सुसंगत एवं विवेकीकृत किया जाना :–

आबकारी कर ढाँचे के प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार है :–

7.3.1 भा.नि.वि.म. पर निर्माता इकाई द्वारा प्रति कार्टून क्वार्ट्स बोतल पर घोषित मूल्य जिसे आर.एस.बी.सी.एल. द्वारा स्वीकार किया जाता है, जिसमें 8 स्लेब निम्नानुसार है:–

ए	400/– रूपये तक	रू. 170/–प्रति एल.पी.एल
बी	400/– से 600/–रूपये तक	रू. 210/–प्रति एल.पी.एल.
सी	600/– से 900/–रूपये तक	रू. 250/–प्रति एल.पी.एल
डी	900/– से 1500/–रूपये तक	रू. 280/–प्रति एल.पी.एल
ई	1500/– से 3000/–रूपये तक	रू. 350/–प्रति एल.पी.एल
एफ	3000/– से 8000/–रूपये तक	रू. 500/–प्रति एल.पी.एल
जी	8000/– से 10000/–रूपये तक	43% एड वेलोरम
एच	10000/– से अधिक	50% एड वेलोरम

7.3.2 बीयर पर आबकारी शुल्क की दर 140 प्रतिशत एड वेलोरम यथावत है।

7.3.3 देशी मदिरा की समूहवार एकाकी विशेषाधिकार प्रणाली यथावत रखी गई एवम् दिनांक 01.04.06 से आबकारी शुल्क रू. 116.67/– प्रति एल.पी.लीटर भी यथावत है।

7.3.4 भा.नि.वि.म. पर बोटलिंग फीस की दर स्वयं के निर्माण व फ्रैन्चाईज व्यवस्था में निर्माण दोनो के लिये रूपये 2.40/– एवम् बीयर की स्वयं की ब्राण्ड पर 1.50 व फ्रैन्चाईज 2.30 प्रति बल्क लीटर पूर्व की भांति यथावत है।

7.3.5 देशी मदिरा पर बोटलिंग फीस की दर राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स एवं निजी क्षैत्र के लिये रूपये 2.40 प्रति बल्क लीटर रखी गई है।

8. उत्पादन एवंम् विपणन इकाईयाँ :–

राज्य में देशी मदिरा /भा.नि.वि.म./बीयर/ डोडा पोस्त एवं भांग से संबंधित निर्माण एवं विपणन इकाइयाँ निम्नानुसार कार्यरत हैं :–

8.1 निर्माण इकाइयाँ :–

(क)	डिस्टलरी	11
(ख)	ब्रेवरी	07
(ग)	देशी मदिरा भराई केन्द्र (R.S.G.S.M)	22
(घ)	भा.नि.वि.म. बोटलिंग प्लांट	17

8.2 विपणन इकाईयाँ :–

(क)	भा.नि.वि.म./बीयर थोक (राजस्थान स्टेट ब्रेवरेजेज कोर्पोरेशन लि0)	38
(ख)	देशी मदिरा खुदरा दुकान	6660
(ग)	भा.नि.वि.म./ बीयर खुदरा दुकानें	1000
(घ)	डोडा पोस्त थोक दुकानें(1) उत्पादन क्षैत्र की 12 (2) खपत क्षैत्र की 58	70
(ड)	डोडा पोस्त/ खुदरा दुकानें	264
(च)	भांग खुदरा दुकानें	787

8.3 विभिन्न बार अनुज्ञापत्र :–

(क)	होटल बार दो लग्जरी ट्रेनों सहित	526
(ख)	क्लब बार	26
(ग)	हेरिटेज होटल बार	66
(घ)	रेस्टोरेन्ट बार	140
	योग	758

9. विभिन्न आबकारी पदार्थों का उठाव/निर्गमः–

विगत पांच वर्षों तथा इस वर्ष माह दिसम्बर, 2011 तक विभिन्न आबकारी पदार्थो का उठाव/ निर्गम निम्नानुसार रहा हैं :–

(मात्रा लाख बल्क लीटर्स में)

वर्ष	देशी मदिरा	भा0नि0वि0मदिरा	बीयर
2006–07	680.23	289.44	644.10
2007–08	722.04	329.88	828.69
2008–09	756.07	415.61	957.92
2009–10	948.57	433.08	845.57
2010–11	1032.26	512.00	959.16
2011–12 माह दिसम्बर 11 तक	1055.56	521.92	953.49

10. न्यायिक प्रकरणों की स्थिति :–

10.1 आबकारी मुख्यालय पर संयुक्त विधि परामर्शी के नियंत्रण में एक विधि प्रकोष्ठ कार्यरत है। इस प्रकोष्ठ द्वारा जहां विधिक बिन्दुओं पर राय दी जाती है वहीं विभाग के विरूद्व दायर अथवा विभाग द्वारा दायर किये जाने वाले प्रकरणों में अग्रेत्तर कार्यवाही की जाती है।

10.2. दिनांक 31.12.2011 को लंबित न्यायिक प्रकरणों की स्थिति निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	प्रकरणों का विवरण	न्यायालय							
		सर्वोच्य न्यायालय	उच्च न्यायालय जयपुर, जोधपुर में विचाराधीन प्रकरणों की संख्या		सिविल सेवा अपील अधिकरण		अधीनस्थ न्यायालय	अन्य न्यायालय	योग
			जयपुर	जोधपुर	जयपुर	जोधपुर			
1.	विचाराधीन	7	279	293	24	3	206	3	815
2.	जवाब प्रस्तुत करने से शेष प्रकरण	3	15	12	–	–	–	–	30
3.	निर्णय की पालना के शेष प्रकरण	–	5	3	–	–	1	–	9
4.	अवमानना के प्रकरण	–	2	3	–	–	2	–	7

न्याय विभाग की अधिकृत वेबसाईट LITES में विभागीय न्यायिक प्रकरणों से सम्बन्धित सूचनाओं की डाटा एन्ट्री कर उन्हें लगातार अद्यतन एवं वेलिडेट किया जाता है। तदनुसार उच्चतम न्यायालय एवं राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन न्यायिक प्रकरणों को अद्यतन करने के लिये जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय, अभियोजन, जयपुर व जोधपुर में दो अद्यतन केन्द्र स्थापित किये गये हैं। सम्पूर्ण न्याायिक प्रकरणों की समीक्षा मुख्यालय में पदस्थापित वरिष्ठ विधि अधिकारी, संयुक्त विधि परामर्शी के द्वारा की जा रही है।

11. नवजीवन योजना :–

राज्य सरकार की वर्ष 2010–11 की आबकारी एवं मद्य संयम नीति के निर्णय अनुसार नवजीवन योजना के अन्तर्गत ऐसे चिन्हित क्षेत्र, जहां अवैध मदिरा निर्माण में लिप्त परिवार/समूह के रूप में रह रहे है, में आवश्यकतानुसार आधारभूत सुविधायें विकसित किये जाने हेतु, इस योजना में कुल आबकारी राजस्व के 01 प्रतिशत तक की

राशि खर्च करने का निर्णय लिया गया। इसके क्रियान्वयन में नशे के कुप्रभाव के बारे में आवश्यक प्रचार प्रसार करने, अवैध मदिरा निर्माण में लिप्त व्यक्तियों के पुर्नवास वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध करवाने की व नशामुक्ति केन्द्रों के संचालन जैसी योजनाओं को सम्मिलित किया गया है।

इस योजना मे वर्ष 2009–10 में सर्वे कर 5097 व्यक्तियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य तय किया गया था, जिसके लिये कुल राशि रूपये 500.00 लाख का बजट स्वीकृत हुआ था। इसके दौरान 1741 परिवारों के 3083 व्यक्तियों को योजना से लाभान्वित किया जाकर कुल 282.40 लाख रूपये का व्यय हुआ। इसे निरन्तर रखते हुए वर्ष 2010–11 में राशि रूपये 2500.00 लाख का बजट स्वीकृत हुआ था। जिसमे से राशि रूपये 1150.24 लाख का बजट आंवटन जिला कलेक्टर्स की मांग के अनुसार किया गया। जिसके उपरान्त 3400 व्यक्तियों को लाभान्वित किये जाने हेतु कार्यवाही की गई तथा इस हेतु माह मार्च, 2011 तक कुल राशि रूपये 468.58 लाख का व्यय हुआ।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011–12 के लिये घोषित आबकारी नीति अनुसार नवजीवन योजना की क्रियान्विति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना द्वारा परम्परागत रूप से अवैध मदिरा निर्माण में लिप्त व्यक्तियों/परिवारों/समुदायों को इस व्यवसाय से दूर कर, सम्मानजनक व्यवसाय अपनाने हेतु आर्थिक सहयोग/प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तथा इनकी बस्तियों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु धन राशि भी उपलब्ध कराई जाती है।

12. ई–गवर्नेस :–

आबकारी विभाग में कम्प्यूटराईजेशन का कार्य राज्य सरकार की सूचना प्रौद्योगिक नीति के तहत वृहद स्तर पर मई, 2002 से प्ररम्भ किया गया है। इसके तहत उपलब्ध हार्डवेयर के बेहतर उपयोग एवं आँकड़ों के सुचारू संकलन, सूचनाओं के आदान–प्रदान एवं विभाग की महत्वपूर्ण गतिविधियों यथा परमिट जारी करने आदि कार्य को कम्पयूटर द्वारा ही किये जाने की आवश्यकता के मद्देनजर किराया क्रय पद्धति पर एक वेब आधारित सॉफ्टवेयर www.rajexcise.net का निर्माण करवाया गया है एवं आवश्यक हार्डवेयर प्राप्त किया गया है। समस्त जिला कार्यालयों को कम्प्यूटर सिस्टम मय इन्टरनेट कनेक्टिविटी के उपलब्ध करवाये गये है। अक्टूबर, 2002 से समस्त जिला कार्यालयों द्वारा उक्त सॉफ्टवेयर पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। वर्तमान में समस्त जिला कार्यालयों से भांग, डोडा पोस्त, भा0नि0विदेशी मदिरा, आर.एस.बी.सी.एल. डिपो एवं सी.एस.डी. के डिपो तथा रिटेल शॉप हेतु परमिटों को ऑनलाईन सॉफ्टवेयर के माध्यम से जारी किया जा रहा है। विभागीय सूचनाओं पत्रादि के प्रेषण में ई–मेल का अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है। इससे मुख्यालय एवं अन्य सम्भागीय कार्यालयों से विभिन्न सूचनाएं, संकलित आंकड़े आदि त्वरित एवं सही प्रारूप में प्राप्त हो रहे है। राजस्व सम्बन्धित कार्यो के अतिरिक्त विभाग के संस्थापन, विधिक एवं निरोधक दल से सम्बन्धित कार्यो आदि में भी कम्प्यूटर के उपयोग में विस्तार किया जा रहा है जिससें अधिकारियों/कर्मचारियों की संस्थापन, विभागीय जाँच से सम्बन्धित समस्त प्रकार की सूचनाओं का बेहतर संधारण/उपयोग किया जा सकेगा।

आबकारी विभाग, RSGSM तथा RSBCL तीनों विभाग मुख्यतः मदिरा व्यवसाय के विनियमितीकरण, उत्पादन एवं वितरण में लगे हुये है तथा तीनों विभागों की गतिविधियॉ एक जैसी होने से इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर तैयार करवा कर 5 वर्ष तक इसको चालू रखने का ठेका निजी फर्म को प्रदत्त है, जिसकी अनुमानित लागत रूपया 1.60 करोड़ प्रतिवर्ष है। इस संबंध में राजस्थान स्टेट ब्रेवरेजेज कॉर्पोरेशन लि0 ने मैसर्स ट्राईमेक्स आई टी इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विसेज लि0 से अनुबन्ध किया हुआ है।

विभागीय ऑनलाईन सॉफ्टवेयर में कुछ नए मॉड्यूल्स यथा बार रजिस्ट्रशेन, डिस्टलरीज मॉड्यूल्स, लिकर सीज़र मॉड्यूल्स, होलोग्राम मॉड्यूल्स, लीगल मेनेजमेन्ट मॉड्यूल्स, होलोग्राम मेनेजमेन्ट मॉडयूल्स, स्प्रिट मॉडयूल्स, एम.एन.टी.पी. मॉड्यूल्स एवं इस्टेबलीसमेन्ट मॉड्यूल्स प्रगति पर है जो कि राजस्थान स्टेट ब्रेवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर की देखरेख में तैयार हो रहे है।